ग्रामीण विकास मंत्रालय

मांग संख्या 87

ग्रामीण विकास विभाग

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	336116.76	...	336116.76	234019.08	...	234019.08	285058.07	...	285058.07	247944.29	...	247944.29
वसूलियां	*-139700.05*	...	*-139700.05*	*-102500.00*	...	*-102500.00*	*-131500.00*	...	*-131500.00*	*-112000.00*	...	*-112000.00*
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	**196416.71**	**...**	**196416.71**	**131519.08**	**...**	**131519.08**	**153558.07**	**...**	**153558.07**	**135944.29**	**...**	**135944.29**
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	61.55	...	61.55	53.08	...	53.08	53.08	...	53.08	57.90	...	57.90
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं												
2. ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को प्रबंधन सहायता एवं जिला आयोजना प्रक्रिया का सुदृढ़ीकरण	135.18	...	135.18	364.38	...	364.38	176.53	...	176.53	212.19	...	212.19
3. सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना सर्वेक्षण	...	...	...	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
4. राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान को अनुदान	80.43	...	80.43	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं	**215.61**	**...**	**215.61**	**364.39**	**...**	**364.39**	**176.54**	**...**	**176.54**	**212.20**	**...**	**212.20**
केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
स्वायत्त निकाय												
5. राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, हैदराबाद	...	...	...	124.00	...	124.00	124.00	...	124.00	135.46	...	135.46
अन्य												
6. व्यय कटौती के फलस्वरूप समायोजित वसूलियां	-7.18	...	-7.18	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय	**-7.18**	**...**	**-7.18**	**124.00**	**...**	**124.00**	**124.00**	**...**	**124.00**	**135.46**	**...**	**135.46**
राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण												
केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं												
राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम												
7. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (आईजीएनओएपीएस)	8965.36	...	8965.36	6259.08	...	6259.08	5944.71	...	5944.71	6564.31	...	6564.31
8. राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना	374.57	...	374.57	622.69	...	622.69	582.74	...	582.74	675.01	...	675.01
9. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (आईजीएनडब्यून पीएस)	1881.32	...	1881.32	1938.80	...	1938.80	1844.51	...	1844.51	2027.00	...	2027.00

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
10. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना (आईजीएनडीपीएस)	263.17	...	263.17	297.37	...	297.37	284.84	...	284.84	290.00	...	290.00
11. अन्नपूर्णा योजना	...	...	...	62.84	...	62.84	53.98	...	53.98	95.99	...	95.99
12. प्रशासनिक व्यय	15.00	...	15.00	19.22	...	19.22	19.22	...	19.22	...	...	...
13. पीएमजेडीवाई महिला खाताधारकों के लिए डीबीटी	30943.69	...	30943.69	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम	**42443.11**	**...**	**42443.11**	**9200.00**	**...**	**9200.00**	**8730.00**	**...**	**8730.00**	**9652.31**	**...**	**9652.31**
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम												
14. राष्ट्रीय रोजगार गारंटी निधि को अंतरण	111170.86	...	111170.86	73000.00	...	73000.00	98000.00	...	98000.00	73000.00	...	73000.00
15. मनरेगा- कार्यक्रम घटक	111169.54	...	111169.54	73000.00	...	73000.00	98000.00	...	98000.00	73000.00	...	73000.00
16. राष्ट्रीय रोजगार गारंटी निधि से पूरी की गई राशि	-111170.87	...	-111170.87	-73000.00	...	-73000.00	-98000.00	...	-98000.00	-73000.00	...	-73000.00
जोड़-महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम	**111169.53**	**...**	**111169.53**	**73000.00**	**...**	**73000.00**	**98000.00**	**...**	**98000.00**	**73000.00**	**...**	**73000.00**
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना												
17. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना												
17.01 केन्द्रीय सड़क निधि/केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि को अंतरण	9022.00	...	9022.00	10000.00	...	10000.00	14000.00	...	14000.00	19000.00	...	19000.00
17.02 पीएमजीएसवाई- कार्यक्रम घटक	12592.81	...	12592.81	11993.50	...	11993.50	11649.10	...	11649.10	16090.00	...	16090.00
17.03 पीएमजीएसवाई- ईएपी घटक	1016.50	...	1016.50	506.50	...	506.50	510.90	...	510.90	10.00	...	10.00
17.04 पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	1500.00	...	1500.00	1500.00	...	1500.00	1900.00	...	1900.00
17.05 वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से प्रभावित क्षेत्रों के लिए परियोजना	78.19	...	78.19	1000.00	...	1000.00	340.00	...	340.00	1000.00	...	1000.00
17.06 घटाएँ केंद्रीय सड़क/केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि से पूरी की गई राशि	-9022.00	...	-9022.00	-10000.00	...	-10000.00	-14000.00	...	-14000.00	-19000.00	...	-19000.00
निवल	*13687.50*	*...*	*13687.50*	*15000.00*	*...*	*15000.00*	*14000.00*	*...*	*14000.00*	*19000.00*	*...*	*19000.00*
राष्ट्रीय आजीविका मिशन-आजीविका												
18. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन												
18.01 एनआरएलएम- कार्यक्रम घटक	8762.16	...	8762.16	11613.34	...	11613.34	9837.34	...	9837.34	11552.77	...	11552.77
18.02 एनआरएलएम- ईएपी घटक	446.00	...	446.00	773.89	...	773.89	773.89	...	773.89	500.00	...	500.00
18.03 पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	1290.38	...	1290.38	1098.38	...	1098.38	1283.65	...	1283.65
जोड़- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन	*9208.16*	*...*	*9208.16*	*13677.61*	*...*	*13677.61*	*11709.61*	*...*	*11709.61*	*13336.42*	*...*	*13336.42*
श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन												
19. श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन	369.29	...	369.29	600.00	...	600.00	375.00	...	375.00	550.00	...	550.00
प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई)												
20. प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) - ग्रामीण												
20.01 केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि में अंतरण	19500.00	...	19500.00	19500.00	...	19500.00	19500.00	...	19500.00	20000.00	...	20000.00
20.02 पीएमएवाई- कार्यक्रम घटक	16864.42	...	16864.42	16999.99	...	16999.99	16999.99	...	16999.99	15999.99	...	15999.99
20.03 ईबीआर ऋणों के लिए नाबार्ड को ब्याज भुगतान	2404.72	...	2404.72	2500.00	...	2500.00	3389.84	...	3389.84	4000.00	...	4000.00
20.04 ब्याज सब्सिडी	...	...	...	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
20.05 घटाएँ केंद्रीय सड़क/केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि से	-19500.00	...	-19500.00	-19500.00	...	-19500.00	-19500.00	...	-19500.00	-20000.00	...	-20000.00

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
पूरी की गई राशि												
निवल	*19269.14*	*...*	*19269.14*	*19500.00*	*...*	*19500.00*	*20389.84*	*...*	*20389.84*	*20000.00*	*...*	*20000.00*
जोड़-केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं	**196146.73**	**...**	**196146.73**	**130977.61**	**...**	**130977.61**	**153204.45**	**...**	**153204.45**	**135538.73**	**...**	**135538.73**
कुल जोड़	***196416.71***	***...***	***196416.71***	***131519.08***	***...***	***131519.08***	***153558.07***	***...***	***153558.07***	***135944.29***	***...***	***135944.29***
ख. विकास शीर्ष												
सामाजिक सेवाएं												
1. आवास	2427.86	...	2427.86	2599.86	...	2599.86	3489.70	...	3489.70	4082.44	...	4082.44
2. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	33773.84	...	33773.84	24.56	...	24.56	24.56	...	24.56	22.56	...	22.56
जोड़-सामाजिक सेवाएं	**36201.70**	**...**	**36201.70**	**2624.42**	**...**	**2624.42**	**3514.26**	**...**	**3514.26**	**4105.00**	**...**	**4105.00**
आर्थिक सेवाएं												
3. ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	2115.30	...	2115.30	2119.67	...	2119.67	2064.82	...	2064.82	3089.42	...	3089.42
4. ग्रामीण रोजगार	111169.53	...	111169.53	73000.00	...	73000.00	98000.00	...	98000.00	73000.00	...	73000.00
5. अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	218.85	...	218.85	561.01	...	561.01	321.16	...	321.16	404.13	...	404.13
6. सड़क और पुल	86.05	...	86.05	197.82	...	197.82	197.01	...	197.01	250.80	...	250.80
7. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	61.54	...	61.54	53.08	...	53.08	53.08	...	53.08	57.90	...	57.90
जोड़-आर्थिक सेवाएं	**113651.27**	**...**	**113651.27**	**75931.58**	**...**	**75931.58**	**100636.07**	**...**	**100636.07**	**76802.25**	**...**	**76802.25**
अन्य												
8. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	5747.78	...	5747.78	5055.79	...	5055.79	6232.45	...	6232.45
9. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	44007.25	...	44007.25	45657.51	...	45657.51	42761.59	...	42761.59	46814.10	...	46814.10
10. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	2556.49	...	2556.49	1557.79	...	1557.79	1590.36	...	1590.36	1990.49	...	1990.49
जोड़-अन्य	**46563.74**	**...**	**46563.74**	**52963.08**	**...**	**52963.08**	**49407.74**	**...**	**49407.74**	**55037.04**	**...**	**55037.04**
कुल जोड़	**196416.71**	**...**	**196416.71**	**131519.08**	**...**	**131519.08**	**153558.07**	**...**	**153558.07**	**135944.29**	**...**	**135944.29**

(₹ करोड़)

	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश												
आवासन												
1. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक	...	...	...	...	17867.00	17867.00	...	...	...	...	...	...
जोड़-आवासन	**...**	**...**	**...**	**...**	**17867.00**	**17867.00**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**
जोड़	**...**	**...**	**...**	**...**	**17867.00**	**17867.00**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**	**...**

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान ग्रामीण विकास विभाग के सचिवालय संबंधी व्यय के लिए है।

2. **ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को प्रबंधन सहायता एवं जिला आयोजना प्रक्रिया का सुदृढ़ीकरण:** इसमें ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए प्रबंधन सहायता और प्रशिक्षण संबंधी कार्यकलापों, जागरूकता सृजन (आईईसी), निगरानी तंत्र के सुदृढ़ीकरण, सूचना प्रौद्योगिकी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग संबंधी प्रावधानों को शामिल किया गया है।

3. **सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना सर्वेक्षण:** यह प्रावधान अभावग्रस्त जीवन बसर करने वाले उन ग्रामीण परिवारों के निर्धारण के लिए एसईसीसी जनगणना कराने के लिए है, जिन्हें मंत्रालय के विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत लक्षित किया जा सकता है।

4. **राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान को अनुदान:** राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान भारत में ग्रामीण विकास में प्रशिक्षण और शोध का एक शीर्षस्थ संस्थान है। एनआईआरडी का मुख्य सरोकार विकासात्मक मुद्दों के संबंध में पाठ्यक्रम चलाने के अलावा ग्रामीण विकास और पंचायती राज कार्यकर्ताओं के लिए निगरानी और आंतरिक लेखा परीक्षा में क्षमता निर्माण करना है। वित्त वर्ष 2020-21 से इसे अन्य केन्द्रीय व्यय के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है।

5. **राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, हैदराबाद:** राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान भारत में ग्रामीण विकास में प्रशिक्षण और शोध का एक शीर्षस्थ संस्थान है। एनआईआरडी का मुख्य सरोकार विकासात्मक मुद्दों के संबंध में पाठ्यक्रम चलाने के अलावा ग्रामीण विकास और पंचायती राज कार्यकर्ताओं के लिए निगरानी और आंतरिक लेखा परीक्षा में क्षमता निर्माण करना है।

7. **इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (आईजीएनओएपीएस):** इस योजना के तहत भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले 60 वर्ष और इससे अधिक आयु के व्यक्ति को सहायता दी जाती है। 60-79 वर्ष की आयु के व्यक्तियों को प्रति माह ₹ 200 रुपए तथा 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों को प्रति माह ₹ 500 रुपए की केंद्रीय सहायता दी जाती है।

8. **राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना:** इस योजना के तहत बीपीएल परिवार के 18-59 वर्ष की आयु के मुख्य जीविकोपार्जक की मृत्यु हो जाने पर यह परिवार एकमुश्त सहायता प्राप्त करने का पात्र होता है। इसमें दी जाने वाली सहायता की राशि 20,000 रु. है।

9. **इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (आईजीएनडब्यून पीएस):** इस योजना के तहत भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले 40-79 वर्ष की आयु की विधवाओं को प्रति माह 300 रुपए की केंद्रीय सहायता दी जाती है। 80 वर्ष की आयु हो जाने पर लाभार्थियों को आईजीएनओएपीएस में शामिल कर लिया जाता है, ताकि वे प्रति माह 500 रुपए पेंशन सहायता प्राप्त कर सकें।

10. **इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना (आईजीएनडीपीएस):** इस योजना के तहत भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले 18-79 वर्ष की आयु के गंभीर या विविध प्रकार की निशक्तताओं से प्रभावित व्यक्तियों को प्रति माह 300 रुपए की केंद्रीय सहायता दी जाती है। 80 वर्ष की आयु हो जाने पर लाभार्थियों को आईजीएनओएपीएस में शामिल कर लिया जाता है, ताकि वे प्रति माह 500 रुपए पेंशन सहायता प्राप्त कर सकें।

11. **अन्नपूर्णा योजना:** इस योजना के तहत ऐसे लाभार्थियों, जो आईजीएनओएपीएस के तहत पात्र तो हैं, किन्तु आईजीएनओएपीएस के तहत वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त नहीं कर रहे हैं, उन वरिष्ठ नागरिकों को प्रतिमाह 10 किलोग्राम खाद्यान्न मुफ्त दिया जाता है।

12. **प्रशासनिक व्यय:** वृद्ध व्यक्तियों, विधवाओं, निशक्त व्यक्तियों और आय अर्जनकर्ता की मृत्यु के मामले में गरीब परिवारों के लिए एनएसएपी एक सामाजिक सहायता कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य राज्यों द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे अथवा भविष्य में उपलब्ध कराए जाने वाले लाभों के न्यूनतम राष्ट्रीय मानकों को सुनिश्चित करना है।

15. **मनरेगा- कार्यक्रम घटक:** महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (महात्मा गांधी नरेगा) का लक्ष्य किसी वित्तीय वर्ष में प्रत्येक परिवार जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक हैं उन्हें कम से कम 100 दिन की गारंटीकृत मजदूरी वाला रोजगार प्रदान करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों की आजीविका सुरक्षा में वृद्धि करना है। पहले चरण में, महात्मा गांधी नरेगा का कार्यान्वयन 02 फरवरी, 2006 से 200 सर्वाधिक पिछड़े जिलों में किया गया था तथा इसके पश्चात 01 अप्रैल, 2007 तथा 15 मई, 2007 से क्रमश: 113 तथा 17 अतिरिक्त जिलों में इसका विस्तार किया गया था। शेष जिलों को 01 अप्रैल, 2008 से इस अधिनियम के तहत शामिल किया गया था। इस प्रकार इस अधिनियम में अब देश के सभी ग्रामीण जिले शामिल हैं। इस योजना के उद्देश्य इस प्रकार है:- मांग के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार को एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 100 दिनों का अकुशल मजदूरी कार्य उपलब्ध कराकर निर्धारित गुणवत्ता और टिकाऊ स्वरूप की उपयोगी परिसंपत्तियों का सृजन करना; गरीबों के आजीविका संसाधन आधार को मजबूती प्रदान करना; सक्रियतापूर्वक सामाजिक समावेशन सुनिश्चित करना; और पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) को मजबूत बनाना।

17. **प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना:** प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ग्रामीण भारत में सबसे सफल पहल के रूप में निर्धारित जनसंख्या आकार (जनगणना 2001 के अनुसार एलडब्ल्यूई क्षेत्र में समतल क्षेत्र में 500 से अधिक, पूर्वोत्तर पहाड़ी, आदिवासी और मरुस्थल क्षेत्र में 250 से अधिक, 100-239 जनसंख्या आकार) के सभी पास पर्यावास के लिए बारहमास सड़क संपर्क प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना वर्ष 2000 में शुरू की गई थी। शुरूआत से 20 जनवरी, 2021 तक कुल 1,70,034 पर्यावास को कनेक्टिविटी प्रदान किया गया है।

इसके पश्चात वामपंथी उग्रवाद क्षेत्रों में ग्रामीण सड़कों के उन्नयन और सामरिक रूप से महत्वपूर्ण सड़कों के निर्माण के लिए पीएमजीएसवाई कार्यक्रम के अंतर्गत वामपंथी उग्रवाद क्षेत्रों के लिए नई सहायक योजनाएँ अर्थात् पीएमजीएसवाई-।।, सड़क संपर्क परियोजना और पीएमजीएसवाई-।।। शामिल की गई थी।

इसकी शुरूआत से लेकर 20 जनवरी, 2021 तक पीएमजीएसवाई को विभिन्न सहायक योजनाओं के अंतर्गत कुल 7,47,990 कि.मी. लम्बी सड़क को स्वीकृति दी गई है और 6,43,999 कि.मी. पूरी कर दी गई है। इस कार्यक्रम के लिए राज्यों को भागीदारी से पीएमजीएसवाई के सभी चालू घटकों को पूरा करने के लिए मार्च, 2025 तक प्रत्येक वर्ष19000 करोड़ रुपए की निरंतर सहायता की जरूरत पड़ेगी।

18. **राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन:** कुल 10.63 लाख उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है औरशुरुआत (सितंबर, 2014) से दिसंबर, 2020 तक6.80 लाख उम्मीदवारों को डीडीयूजीकेवाई के तहत रखा गया है।

आरएसईटीआई ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक बैंक की अगुवाई वाली पहल है, जिसे समर्पित देश के प्रत्येक जिले में बुनियादी ढाँचे के साथ कौशल विकास और कौशल उन्नयन के लिए प्रशिक्षण देने, प्रेरित करने, प्रशिक्षण प्रदान करने और 18-45 आयु वर्ग के बेरोजगार ग्रामीण गरीब युवाओं को स्व-रोजगार उद्यम उद्यम शुरू करने के लिए सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। आरएसईटीआई को भारत सरकार और राज्य सरकारों के सक्रिय सहयोग से बैंकों द्वारा प्रायोजित, प्रबंधित और संचालित किया जाता है।

गरीब परिवारों के ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए बैंकों और राज्य सरकारों के सहयोग से देश के प्रत्येक जिले में आरएसईटीआई की स्थापना, डीएवाई-एनआरएलएम का एक प्रमुख घटक है। आरएसईटीआई युवाओं को दीर्घकालिक सहायता के साथ अल्पकालिक आवासीय प्रशिक्षण प्रदान करते हैं, कुछ आरएसईटीआई आधारभूत स्थिति और व्यवहार्यता के आधार पर युवाओं को ऑफ-साइट प्रशिक्षण भी प्रदान करते हैं।

किसी भी जाति, पंथ, धर्म, लिंग और आर्थिक स्थिति के बावजूद 18-45 वर्ष के आयु वर्ग में कोई भी बेरोजगार युवा, स्वरोजगार या मजदूरी रोजगार लेने की योग्यता रखने वाला और संबंधित क्षेत्र में कुछ बुनियादी ज्ञान रखने के लिए आरएसईटीआई में प्रशिक्षण प्राप्त कर सकता है।

वर्तमान में आरएसईटीआई चार प्रमुख क्षेत्रों जैसे कृषि, प्रसंस्करण, उत्पाद निर्माण और सामान्य उद्यमिता विकास कार्यक्रम के तहत वर्गीकृत 61 व्यवसायों में प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। वर्तमान में, 585 आरएसईटीआई देश भर में कार्य कर रहे हैं। आरएसईटीआई ने 34.26 लाख को प्रशिक्षित किया है और दिसंबर, 2020 तक 24.08 लाख का निपटान किया है। वर्तमान में, प्रशिक्षण पूरा होने के बाद दो साल की अवधि के लिए आरईएसटीआई प्रशिक्षित उम्मीदवारों को पोस्ट ट्रेनिंग हैंडहोल्डिंग सहायता प्रदान की जाती है।

लीड बैंक की जिम्मेदारी वाले प्रत्येक प्रायोजक बैंक को आरएसईटीआई भवन के निर्माण के लिए 1.0 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता प्रदान की जाती है, इसके अलावा पात्र उम्मीदवारों (ग्रामीण गरीबों) के प्रशिक्षण की लागत की प्रतिपूर्ति की जाती है, जबकि राज्य सरकारों से मुफ्त में जमीन उपलब्ध कराने की उम्मीद की जाती है।

19. **श्यामा प्रसाद मुखर्जी आर अर्बन मिशन:** श्यामा प्रसाद मुखर्जी आर्बन मिशन (एसपीएमआरएम) एक अनोखा कार्यक्रम है जिसे विकास की निर्धारित न्यूनतम सीमा पर ग्रामीण क्षेत्रों में उत्प्रेरकपरक हस्तक्षेप किए जाने के लिए तैयार किया गया है। इस मिशन का उद्देश्य चयनित ग्रामीण क्षेत्रों को सामाजिक आर्थिक ओर भौतिक रूप से स्थायी क्षेत्र के रूप में विकसित करना है और इसे आर्थिक, सामाजिक, मूलभूत और डिजिटल सुविधाओं को उपलब्ध कराकर मजबूत बनाना है। जिससे कि देश में सतत् और संतुलित क्षेत्रीय विकास हो सके।

इस अभिनव मिशन के अंतर्गत देशभर में 300 अर्बन बस्तियों का विशेष विष्यक आर्थिक विकास किया जा रहा है। आज की तारीख तक 28 राज्यों और 07 संघ राज्य क्षेत्रों के 246 बस्तियों की पहचान की गई है और उनको अनुमोदित किया गया है इसके अलावा, राज्यों के साथ घनिष्ठतापूर्वक मिलकर के 28 राज्यों और 07 संघ राज्य क्षेत्रों में 279 इन्टीक्रेडिट क्लस्टर एक्शन प्लांस (आईसीएपी को मंजूरी दे दी गई है और प्रत्येक आर्बन बस्ती में किए जाने वाले अनुमोदित निवेश के 30 प्रतिशत की सहायता दे दी गई है जबकि बाकी 70 प्रतिशत धन की व्यवस्था राज्य अपने राजकीय एवं केंद्रीय कार्यक्रमों से मिलाकर करेंगे।

कुछ चुनी हुई ग्राम पंचायतों में केंद्रीय क्षेत्र विकास के क्लस्टर आधारित मॉडल से विकेंद्रीकृत नियोजन सुनिश्चित हो सकेगा और अपने महत्वकांक्षी विकास को प्राप्त करने के लिए अस्थानीय प्रयासों और संसाधनों का कुशल उपयोग हो सकेगा। इस मिशन के अंतर्गत 21 घटकों की परिकल्पना की गयी है जो कि इन बस्तियों के समग्र विकास में प्रमुख संचालक का काम करेंगे। इस मिशन के तीन चरणों के अंतर्गत इन 289 बस्तियों में 27,945 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव है जिसे करवर्जन एंड क्रिटिकल गैप फंडिंग (सीजीएफ) क्रियाकलापों में निवेश किया जाना है।

20. **प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) - ग्रामीण:** 2022 तक सभी के लिए आवास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार 01 अप्रैल, 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण (पीएसएवाई) - जी चला रही है। इस पीएमएवाई-जी के अंतर्गत मार्च, 2019 तक देश के ग्रामीण क्षेत्रों में 1.00 करोड़ पक्के मकानों का निर्माण किया जाना है।ग्रामीण राजगीरों के प्रशिक्षण , स्थायी रूप से यथोचित मकानों की डिजाइन के टाइपोलॉजी के विकास और विभिन्न स्तरों पर इनकी मॉनीटरिंग के लिए समर्पित तंत्र की स्थापना से इन घरों का काम घमवत्तापूर्वक और समयपूर्वक पूरा किया गया है। मंत्रीमंडल ने पीएमएवाई-जी के अंतर्गत आवास रहित लोगों के लिए 2.95 करोड़ मकानों के लिए स्वीकृति दे दी है। इसके अलावा इसके प्रथम चरण में 2016-17 से 2018-19 तक के तीन वर्षों की अवधि में 1.0 करोड़ मकानों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया था। बाकी 1.95 करोड़ मकानों को अगले तीन वर्षों (2019-20 से 2021-22) में पूरा किया जाना है। जिसमें केंद्र सरकार पर 1,56,634 करोड़ रुपए का वित्तीय खर्च आएगा।